समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक...72..../सी0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सिंहवाड़ा।

लहेरियासराय, दिनांक..08.जनवरी 2016.

विषयः **औचक निरीक्षण के दौरान पायी गई स्थिति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 06.01.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिंहवाड़ा प्रखण्ड/अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान निम्नांकित स्थिति पायी गई :–

1. प्रखंड परिसर में काफी गंदगी पायी गयी, जिसकी सफाई की ओर आपके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि इसके लिए बार–बार निदेशित किया जाता रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी दो दिनों के अन्दर सम्पूर्ण परिसर की सफाई दो दिनों के अन्दर सुनिश्चित करावें।
2. प्रखंड के उपस्थिति पंजी की जॉच की गई। श्री संजय कुमार, लिपिक के नाम के समक्ष LS अंकित है। इनके नाम के समक्ष दिनांक 01.01.2016 को भी LS अंकित पाया गया, जबकि दिनांक 04.01.2016 को ये अनुपस्थित रहे है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का अपने अधीनस्थो पर नियंत्रण नहीं है।
3. प्रखंड मुख्यालय के इन्दिरा आवास सहायक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015–16 में कुल 878 लाभुकों में से मात्र 248 लाभुक को द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
4. प्रखंड रोकड़ पंजी 20.12.2015 तक लिखा गया है, परन्तु इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 03.12.2015 तक ही हस्ताक्षर किया गया है। रोकड़ पंजी का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रोकड़ पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख को सही ढंग से संधारित करवाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 6.23 करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में पड़े हुए है। प्रखंड नाजिर द्वारा बताया गया कि यह राशि वर्ष 2014 से लंबित है, जिसके विरूद्ध मात्र 45.03 लाख रूपये का अभिश्रव प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की समीक्षा नहीं की गई है और न ही इसके समायोजन की ओर कोई ध्यान दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से अस्थायी गबन का मामला है, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी/नाजिर एवं अन्य संबंधित कर्मी जिम्मेवार है।

6. पृच्छा किए जाने पर कि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रखंड में कितने पेंशनधारी है एवं कितने का खाता खुला है, इसकी कोई जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा इस योजना की समीक्षा नहीं की जाती है।

अतः निदेश है कि उपरोक्त विन्दुओं पर आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं उपर्युक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाय ?

विश्वासभाजन,

08/01/16

जिलाधिकारी,
दरभंगा।